न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—44/2020 (2020/00063) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—भंवरलाल आत्मज बालुराम जाट निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—शम्भुलाल आत्मज बालुराम जाट निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—गीता पुत्री बालुराम जाट निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—सोहनी पत्नि बालुराम जाट निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—मुकेशकुमार आत्मज नगंजीराम जाट निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—शंकरलाल आत्मज रामलाल जाट निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—लोबु आत्मज रामलाल जाट निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—बदामी पत्नि रामलाल जाट निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—कमला पत्नि हीरालाल जाट निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—काली पुत्री हीरालाल जाट निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—जगदीश आत्मज हीरालाल जाट निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—ललित आत्मज हीरालाल नाबाबे माता कमला पत्नि हीरालाल जाट नि.झड़ौल तह. रायपुर
9—माधुलाल आत्मज परसराम जाट निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10—बद्रीलाल आत्मज परसराम जाट निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जे.सी.व्यास, एस.एन.डाकोत — प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. जाकिर हुसैन, फतहलाल लौहार — विपक्षी संख्या 1 अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—16.02.2021

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम झड़ोल पटवार हल्का झड़ोल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदार अधिकार एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 459 में अकिंत आराजी संख्या 1208 रकबा 0.53 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर आवागमन का रास्ता ग्राम झड़ौल की आबादी के उत्तर दिशा की ओर झड़ोल से चारोट जाने के रास्ते पर होकर विपक्षीगण आराजी संख्या 1136 व 1137 के मध्य स्थित है। विपक्षीगण द्वारा रास्ते की भूमि पर पत्थर लगाकर तथा थोहर की बाड़ लगाकर वर्तमान में रास्ता केवल 5 फुट चौड़ा रख दिया जिससे प्रार्थीगण अपनी कृषि आराजियात पर संज, बैल, गाड़ी, ट्रेक्टर आदि नही ले जा पाते है तथा फसल नही बो पाते है। अन्य कोई रास्ता विद्यमान नही है। सदैव का रास्ता जो पहले था जिसको 5 फीट कर दिया गया है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1208 पर आवागमन का रास्ता जो विपक्षीगण की आराजी संख्या 1136, 1137 के मध्य स्थित रास्ते को 15 फुट चौड़ा कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जाए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 22.05.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.19 16:15:56 IST
Reason: SelfAttested

लगायत 10 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब में अकंन किया कि प्रार्थीगण उक्त आराजी से लगती हुई आ.स. 1203 जो गांव से आने वाले सरकारी रास्ते पर स्थित आ. स. 1202 से लगी हुई है उक्त आराजी में मौके पर 20 फिट चौड़ा रास्ता है जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजी में आवागमन करते हैं। प्रार्थीगण की आराजियात संख्या 1208 में आवागमन का रास्ता विपक्षीगण संख्या एक की आ.सं. 1136 व विपक्षी संख्या दो से आठ की आ.सं. 1137 के मध्य पाली पर न तो कभी था व न ही वर्तमान में है। प्रार्थीगण ने कभी भी विपक्षीगण की आराजियात की मध्य पाली से आवागमन नहीं किया है। प्रार्थीगण विपक्षीगण की आराजी में नाजायज रास्ता कायम करना चाहते हैं। प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन का रास्ता ग्राम झडोल से जाने वाले बिलानाम रास्ता से लगती हुई आ.स. 1202 पर बने हुए 20 फिट चौड़े रास्ते से होकर आगे आ. स. 1203 में बने हुए बीस फिट चौड़े रास्ते से होकर प्राथीगण अपनी आ.सं. 1208 में वर्षो से आवागमन करते है तथा उक्त रास्ता मौके पर चालु है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण की आ.स. 1208 से आगे अन्य लोगो की आराजियात तक जा रहा है। प्रार्थीगण वर्षों से इसी रास्ते का उपयोग कर अपने खेतो में ट्रेक्टर, संज बैलगाड़ी. लेकर आवागमन कर फसल काश्त कर रहे हैं तथा वर्तमान में प्रार्थीगण ने अपने खेतो में फसल काश्त कर रखी हैं। जहां प्रार्थीगण द्वारा रास्ता बताया जा रहा है वहां बड़ी खाई होकर उबड़ खाबड़ हैं तथा एक गली जो विपक्षीगण के कुएं पर जाने के लिए बनी हुई हैं जो वर्षो पुरानी बनी हुई हैं। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण की आराजियात से कभी आवागमन नहीं किया है। जब विपक्षीगण की आ.सं. 1136 व 1137 की मध्य पाली पर प्रार्थीगण का रास्ता है ही नहीं तो प्रार्थीगण का रास्ता बंद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन का वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध हैं तथा प्रार्थीगण को रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं हैं परंतु प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को परेशान करने तथा उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए यह झुठा प्रार्थनापत्र पेश किया गया है जिसे सव्यय खारिज फरमाया जाए।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका में अंकन किया कि ग्राम झड़ौल की आराजी संख्या 1208 रकबा 0.53 है0 भूमि खातेदार भंवरलाल, शम्भुलाल पिता बालुराम गीता पुत्री बालुराम, सोहनी बेवा बालुराम, जाट के नाम दर्ज रेकार्ड है उक्त भूमि पर आवागमन का वर्तमान में कोई रास्ता नही है। मौके पर आराजी संख्या 1136, 1137 के मध्य करीब 5 फीट रास्ता है जो खुला हुआ है। मौके पर आराजी संख्या 1208 में आवागमन हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। वर्तमान में उक्त आराजी संख्या 1208 पर आराजी संख्या 1136, 1137 की मध्य मड़ो के सहारे सहारे आवागमन किया जा रहा है। उक्त रास्ते में आराजी संख्या 1136 रकबा 0.14 है0 मे से 0.0080 है0 आराजी संख्या 1137 रकबा 0.20 है0 मे से 0.02 है0 व आराजी संख्या 1134 रकबा 0.23 है0 मे से 0.0030 है0 आता है कुल किता 3 कुल रकबा 0.57 है0 मे से 0.0310 है0 यानि 310 वर्गमीटर रास्ते के उपयोग में आयेगी जिसकी डीएलसी दर के अनुसार कीमत 24183 रूपये जिसकी दुगुनी राशि 48366 रूपये बनती है जो विपक्षी को भुगतान की जानी है। वर्तमान में जो रास्ता है वादीगण उसी रास्ते में आवागमन चाहते है उक्त चाहे गये रास्ते को नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.19 16:15:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में मुख्य कथन किया कि प्रार्थीगण को अपनी आराजी में आवागमन हेतु राजस्व रेकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नही है और प्रार्थीगण वर्षो से प्रस्तावित रास्ते से ही आवागमन कर रहा है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में मुख्य कथन किया कि प्रार्थीगण को अपनी आराजी में आवागमन हेतु अन्य रास्ता मौजुद है अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता प्रस्तावित किया गया है उसी अनुसार तहसीलदार रायपुर से रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें अंकन किया कि प्रार्थीगण द्वारा रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। मौके पर 5 फीट चौड़ाई में रास्ता वर्तमान में चालु है विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थीगण की आराजी में जाने का आराजी संख्या 1202 व 1203 में रास्ता उपलब्ध है किन्तु इस सम्बन्ध में ऐसा कोई दस्तावेज, नक्शा ट्रेस या साक्ष्य प्रस्तुत नही की जिससे कथन प्रमाणित होता हो। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम झड़ौल तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी सख्या 1208 में आवागमन हेतु विपक्षी खातेदार की आराजी नम्बर 1136 रकबा 0.14 है0 में से 0.0080 है0, आराजी संख्या 1137 रकबा 0.20 है0 मे से 0.0200 है0 एवं आराजी संख्या 1134 रकबा 0.23 है0 मे से 0.0030 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.0310 है0 भूमि यानि 310 वर्गमीटर भूमि की कीमत 24183 रूपये का दुगुना करने पर 48366 रूपये मुआवजा राशि बनती है उक्त राशि का प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी खातेदारान को भुगतान करने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.2.2021

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.19 16:15:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—44/2020 (2020/00063) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—भंवरलाल आत्मज बालुराम जाट निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—शम्भुलाल आत्मज बालुराम जाट निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—गीता पुत्री बालुराम जाट निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—सोहनी पत्नि बालुराम जाट निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—मुकेशकुमार आत्मज नगंजीराम जाट निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—शंकरलाल आत्मज रामलाल जाट निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—लोबु आत्मज रामलाल जाट निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—बदामी पत्नि रामलाल जाट निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—कमला पत्नि हीरालाल जाट निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—काली पुत्री हीरालाल जाट निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—जगदीश आत्मज हीरालाल जाट निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—ललित आत्मज हीरालाल नाबाबे माता कमला पत्नि हीरालाल जाट नि.झड़ौल तह. रायपुर
9—माधुलाल आत्मज परसराम जाट निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10—बद्रीलाल आत्मज परसराम जाट निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम झड़ौल तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी सख्या 1208 में आवागमन हेतु विपक्षी खातेदार की आराजी नम्बर 1136 रकबा 0.14 है0 में से 0.0080 है0, आराजी संख्या 1137 रकबा 0.20 है0 मे से 0.0200 है0 एवं आराजी संख्या 1134 रकबा 0.23 है0 मे से 0.0030 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.0310 है0 भूमि यानि 310 वर्गमीटर भूमि की कीमत 24183 रूपये का दुगुना करने पर 48366 रूपये मुआवजा राशि बनती है उक्त राशि का प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी खातेदारान को भुगतान करने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 16.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

16.2.2021

(सुन्दरलाल बम्बोड़ा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.19 16:15:56 IST
Reason: SelfAttested